हिन्दुस्तान www.livehindustan.com

राज्य में 62 परियोजनाओं के बिल्डरों पर गिरेगी गाज

रेरा से निबंधन का आवेदन खारिज होने के बाद भी करा रहे हैं निर्माण

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने अधिनियम का उल्लंघन कर बनाए गए 62 अवैध निर्माण चिह्नित किए हैं। अब इनके बिल्डरों के खिलाफ गाज गिरना तय है।

प्राधिकरण ने इन बिल्डरों पर जुर्माना लगाने के अलावा ऐसी परियोजनाओं के फ्लैट्स एवं प्लॉटों के निबंधन पर रोक लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इनमें ज्यादातर परियोजनाएं पटना की हैं। स्थलीय निरीक्षण में अवैध निर्माण की पहचान के बाद रेरा अब सेटेलाइट चित्र के जरिए सबूत जुटा रहा है। इसमें वन एवं पर्यावरण विभाग के विशेषज्ञों की मदद ली गई है। मंगलवार को वन एवं पर्यावरण विभाग के वैज्ञानिक पदाधिकारी भवेश कुमार ने नवीनतम तकनीक के उपयोग से ऐसी परियोजनाओं को चिह्नित करने की जानकारी दी। प्रथम चरण में उन्होंने दस परियोजनाओं के सेटेलाइट चित्र दिखाए। ऐसी परियोजना पटना जिले के आनंदपुर, अख्तियारपुर, राजपुर, शिवाला, हथिया कंध, उसरी, रानीपुर, बिहटा, रूपसपुर, आदमपुर एवं दानापुर मौजा में हैं। इस बाबत उन्होंने बताया कि नवीनतम तकनीक का उपयोग कर रेरा वैसे बिल्डरों के विषय में सूचना प्राप्त कर सकता है, जो बिना निबंधन कराये फ्लैट अथवा प्लॉट की बिक्री कर रहे हैं। प्रस्तुतिकरण के बाद रेरा बिहार अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने कहा कि सेटेलाइट चित्र से साफ पता चलता है कि इन बिल्डरों ने रेरा अधिनियम का उल्लंघन किया है। ऐसे में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

फ्लैट्स और प्लॉटों के निबंधन पर रोक लगेगी

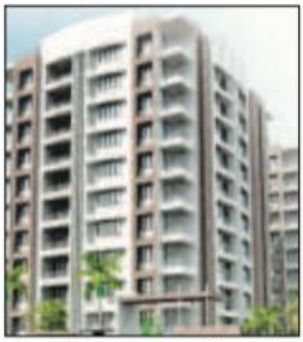

तकनीकी दल को ऐसी जगहों पर खासतौर पर भेजा गया, जहां रेरा निबंधन के लिए आवेदन आए थे, बाद में अर्हता पूरी नहीं करने के चलते आवेदन खारिज कर दिए गए थे। इन दलों को यह पता लगाने के लिए भेजा गया था कि बिना निबंधन के बिल्डर प्रोजेक्ट बना रहे हैं या नहीं। तकनीकी दलों ने ऐसी 62 परियोजनाओं की पहचान की है जो बिना निबंधन के बनाए गए हैं। ऐसी परियोजनाओं के फ्लैट्स एवं प्लॉटों के निबंधन पर रोक लगाई जाएगी। इन सभी पर स्वप्रेरित कारवाई शुरू की जा रही है। नवीनतम तकनीक के प्रयोग द्वारा पुख्ता सबूत भी प्राप्त किये जा रहे हैं, ताकि कानून तोड़ने वालों के विरुद्ध सख्त करवाई की जा सके।